



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199 ]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2001/चैत्र 5, 1923

No. 199]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2001/CHAITRA 5, 1923

कृषि मंत्रालय

( कृषि एवं सहकारिता विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का. आ. 276 ( अ ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 ( 1966 का 54 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने वाले नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किस्मों के और उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, बीजों की उक्त किस्मों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण भारत में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किस्में या जैसा केन्द्रीय सरकार अन्यथा अधिसूचित करे, घोषित करती है, अर्थात् :—

क्र. सं.	किस्म	प्रकार
(1)	(2)	(3)
1.	पी आर-113	धान
2.	पी आर-114	धान
3.	पी आर-115	धान
4.	पी आर-116	धान

[ फा. सं. 17-7/2000-एस.डी. IV ]

गोविन्दन नायर, संयुक्त सचिव

946 GI/2001

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2001

S.O. 276(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below of the kinds specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purpose of Agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for a period of fifteen years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, or as the Central Government may otherwise notify, for the whole of India for the purpose of the said act, namely:—

S.No.	Variety	Kind
(1)	(2)	(3)
1.	PR-113	Paddy ✓
2.	PR-114	Paddy ✓
3.	PR-115	Paddy ✓
4.	PR-116	Paddy ✓

[F. No. 17-7/2000-S.D. IV]

GOVINDAN NAIR, Jt. Secy.

Entered

etc